

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 158]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1972/आषाढ़ 14, 1894

No. 158]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1972/ASADHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th July 1972

SUBJECT:—Import of Dates (S. No. 21(b)/IV) from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports, excluding Iran and Iraq, during July, 72—June, 73 on annual basis.

No. 97-ITC(PN)/72.—It has been decided to grant licences for import of Dates from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports, excluding Iran and Iraq on annual basis, during July, 1972—June, 1973 licensing period on the following basis:—

Quota

(i) Established importers having past imports of Dates from Saudi Arabia, Muscat etc., upto Rs 12,500/-.

Minimum value licence of Rs. 12,500/- each.

Quota

- | | |
|--|--|
| (ii) Established importers having past imports of dates from Saudi Arabia, Muscat etc. between Rs. 12,501/- and Rs. 1.5 lakhs. | 50 per cent, subject to a minimum of Rs. 12,500/-. |
| (iii) Established importers having past imports of dates from Saudi Arabia, Muscat etc. between Rs. 1,50,001 and Rs. 5 lakhs. | 45 per cent, subject to a minimum of Rs. 75,000/-. |
| (iv) Established importers having past imports of dates from Saudi Arabia, Muscat etc. over Rs. 5 lakhs. | 40 per cent, subject to a minimum of Rs. 2,25,000/-. |

2. The licences will be granted on the basis of past imports of dates from these countries, in any one of the years of the prescribed basic period, namely, 1956-57 to 1969-70.

3. Established Importers, who had imported this item from the above countries by Sailing vessels/Steamers may accordingly submit their applications to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on or before the 26th July 1972 in the usual form and manner, complete in all respects. Incomplete applications are liable to be rejected. They should clearly state the specific country from which they want to effect their imports. No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in the past and were accepted by them for issue of licences for import of Dates from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports excluding Iran and Iraq. They should, however quote details of licences obtained in the preceding two periods. Where, however, the established importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports of 'Dates' from that particular country from which imports were made during any one year within the prescribed basic years.

4. Import licences granted to the eligible established importers will be valid for import from only that particular country from which they have past imports and their validity period will be upto the 30th June, 1973. No extension will be allowed under any circumstances. The importers are, however, free to utilise the full value of the licences any time within their validity period.

5. Licences issued in terms of above paragraphs will be valid for import upto 60 per cent by Sailing vessels and the balance by Steamers etc.

6. It may be noted that the minimum value of import licences for Dates from Saudi Arabia, Muscat etc. during July, 1972—June, 1973 has been enhanced to Rs. 12,500/- (Rupees twelve thousand and five hundred only) subject to the provisions contained in para 45 (2) of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1972-73 with regard to division of quotas.

7. The provisions of paragraph 77(1) and 77(2) of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for the period April, 1972-March, 1973, relating to minimum and maximum value of licences will not apply to the licences issued in terms of this Public Notice.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 जुलाई 1972

विषय :—जुलाई, 1972 से जून, 1973 के दौरान वार्षिक आधार पर सऊदी अरब, मसकत तथा फारस की खाड़ी के अन्य पत्तनों से (ईरान और ईराक को छोड़कर) खजूरों (क्रम सं० 21(बी/4) का आयात।

संख्या 97-आई०डी०सी०(पी० एन०)/72.—जुलाई, 1972-जून, 1973 के दौरान ईरान तथा ईराक को छोड़कर सऊदी अरब, मसकत तथा फारस की खाड़ी के अन्य पत्तनों से खजूरों के आयात के लिए निम्नलिखित आधार पर आयात लाइसेंस जारी करने का निश्चय किया गया है :—

कोटा

- (1) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में सऊदी अरब, मसकत आदि से 12,500 रुपये प्रत्येक 12,500 रु० का न्यूनतम लाइसेंस तक खजूरों का आयात किया है। मूल्य।
- (2) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में 50 प्रतिशत न्यूनतम 12,500 रुपये सऊदी अरब, मसकत आदि से 12,501 से के अधीन।
1, 50,000 रुपये तक खजूरों का आयात किया है।
- (3) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में 45 प्रतिशत न्यूनतम 75,000 रुपये के सऊदी अरब, मसकत आदि से 1,50,001 से अधीन।
5,00,000 रुपये तक खजूरों का आयात किया है।
- (4) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में 50 प्रतिशत न्यूनतम 2,25,000 रुपये के सऊदी अरब, मसकत आदि से 5 लाख रु० से ऊपर अधीन।
खजूरों का आयात किया है।

2. लाइसेंस निर्धारित मूल अवधि के वर्षों के किसी एक वर्ष अर्थात् 1956-57 से 1969-70 में इन देशों से भूतकाल में किए गए खजूरों के आयातों के आधार पर जारी किए जाएंगे।

3. संस्थापित आयातक जिन्होंने उपर्युक्त देशों से इस मद का आयात पाल पोतों स्टीमरों द्वारा किया था वे तदनुसार 26 जुलाई, 1972 को अथवा इससे पहले निर्धारित प्रपत्र तथा रीत में सब प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, बम्बई को प्रस्तुत कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं। आयातकों को उस देश का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिससे वे आयात करना चाहते हैं। भूतकाल में किए गए आयात सम्बंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं वरन् कि भूतकाल में वे दस्तावेज सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हों और उसने ईरान तथा ईराक को छोड़कर सऊदी अरब, मसकत तथा फारस की खाड़ी के अन्य पत्तनों से खजूरों

के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए उन दस्तावेजों को स्वीकार किया हो। लेकिन आयातकों को पिछली दो अवधियों में प्राप्त किए गए लाइसेंस का उल्लेख करना चाहिए। परन्तु यदि संस्थापित आयातक प्रथम बार आवेदन कर रहे हों तो उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे निर्धारित मूल वर्षों में किसी वर्ष के दौरान उस विशेष देश से भूतकाल में किए गए खजूरों के आयात से सम्बन्धित वृत्तिहीन दस्तावेज प्रस्तुत करें।

4. पात्र संस्थापित आयातकों को जारी किए गए लाइसेंस केवल उसी विशेष देश से आयात के लिए वैध होंगे जिस से कि उन्होंने भूतकाल में आयात किया है और उनकी वैधता अवधि 30 जून, 1973 तक होगी। वैधता अवधि में किसी भी स्थिति में वृद्धि नहीं की जाएगी। परन्तु लाइसेंस की वैधता अवधि में उसके पूर्ण मूल्य का किसी भी समय उपयोग करने की आयातकों को छूट है।

5. उपर्युक्त कंडिकाओं की शर्तों के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस पोतपालों द्वारा 60 प्रतिशत तक के आयात के लिए तथा स्टीमरों आदि द्वारा शेष आयात के लिए वैध होंगे।

6. इसे ध्यान में रखा जाए कि जुलाई, 1972 से जून, 1973 के दौरान सऊदी अरब, मसकत आदि से खजूरों के आयात के लिए लाइसेंसों के न्यूनतम मूल्य को केवल आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैड बुक, 1973 की कंडिका 45 (2) में निहित व्यवस्थाओं के अधीन कोटा बंटवारे के सम्बन्ध में 12,500 रुपये (बारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र) तक बढ़ा दिया गया है।

7. अप्रैल, 1972 मार्च, 1973 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 77(1) और 77(2) की लाइसेंसों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य से सम्बन्धित शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।